14/02/25 प्रार्थी पक्ष ने वादी वादिनी
अनु। न्यायालय समक्ष वादी
वादिनी को कोर्ट फीस का भुगतान
लगाई, लेकिन कोर्ट 340 नहीं आया,
अतः वादी का वाद अग्रिम पेशी, अग्रिम
दिनांक को भुगतान किया जाएगा। प्रार्थना
पत्र को मंजूर होकर पारित किया जाता
है मंजूर

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.24 17:06:56 IST
Reason: SelfAttested